Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 10/2023

Sadanand Sah ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–308 एवं 309 दिनांक–16.03.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 46/2023 में दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में ससमय दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी जिला राजस्व शाखा, पूर्णिया में अमीन के पद पर नियुक्त होते हुए अंचल अमीन, बी0कोठी, पूर्णिया से दिनांक–31.03.2017 को सेवानिवृत्त हुए। इन्हें पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनके पेंशन मद से समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–308 एवं 309 दिनांक–16.03.2022 द्वारा 20% पेंशन कटौती का आदेश संसूचित है। इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए वरीय उप समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक–797 दिनांक–16.02.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उनसे कभी भी द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग नहीं की गई। इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिनांक–14.12.2016 को बिंदुवार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था। अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत पाँच वर्ष पश्चात् दिनांक–16.03.2022 को दंडादेश उपलब्ध कराया गया। पेंशन आदि भुगतान नहीं होने के कारण इन्हें काफी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सेवाकाल का भी वेतन दिनांक–01.07.1992 से दिनांक–31.10.1993 तक का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही दिनांक–01.07.1994 से दिनांक–31.12.1994 तक मात्र मूल वेतन भुगतान किया गया। मँहगाई भत्ता आदि लंबित है। वर्ष 1995 से इनके सेवानिवृत्ति वर्ष 2017 तक कई महीनों/वर्षों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि इनके द्वारा सरकारी कार्यों का निष्पादन किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदत है :– मो0 मुन्ना, लंका टोला, पूर्णिया से खास महाल जमीन नापी एवं खाली कराने हेतु एक लाख रूपये की माँग किया जाना जिसमें 15,000/– रूपये अग्रिम प्राप्त करना जो घूस की राशि के रूप में	

Web Copy, Not Official.

		माँग की गई। अभिलेख सं0–46/2014 में अपनी मर्जी से जाँच कर प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया गया। अभिलेख सं0–38/2014 सहित कुल–08 अभिलेखों में क्रमशः	
	लगातार 17.11.2023	पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कानूनगो एवं जिला अमीन को संयुक्त रूप से जाँच का आदेश दिया गया, किन्तु कानूनगो की बिना सहमति से स्वयं मनमाने तौर पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर अभिलेखबद्ध किया गया। जबकि प्रश्नगत भूमि पर CWJC No. 2162/2013 चल रहा था जिसमें आवेदक को भूमि लीज नहीं किये जाने का शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया था। जिसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा लीज हेतु अनुशंसा किया गया। अभिलेख सं0–220/2014 से 224/2014 एवं अन्य कई अभिलेख दिनांक–20.01.2014 से दिनांक–09.02.2014 तक पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। विडियो क्लीप से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी अभिलेख अपने पास रखकर अवैध राशि की वसूली की गई। इनसे स्पष्टीकरण की माँग किये जाने पर कोई प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समाहर्त्ता, पूर्णिया के ज्ञापांक–1482 दिनांक–16.08.2014 के आलोक में अपीलार्थी द्वारा जिला राजस्व कार्यालय, पूर्णिया में योगदान समर्पित किया गया। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के ज्ञापांक–2615 दिनांक–18.09.2014 द्वारा खास महाल भूमि से संबंधित कार्य करने का निदेश दिया गया। समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–2065 दिनांक–14.09.2011 द्वारा खास महाल भूखंड के सर्वेक्षण हेतु टीम गठित किया गया था। इनके द्वारा CWJC No. 2162/2013 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। सर्वेक्षण टीम के द्वारा वार्डवार दावा–आपत्ति कार्यालय अवधि में प्राप्त करने का निदेश था जिसके लिए टीम के अन्य सदस्यों को दायित्व सौंपा गया था। सर्वेक्षण प्रपत्र पर उक्त याचिका अंकित नहीं करने के लिए टीम के सदस्य तरूण कुमार मजमदार एवं अमरकांत ठाकुर दोषी हैं। उक्त के आलोक में समाहर्त्ता के मौखिक आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता के आदेश ज्ञापांक–2615 दिनांक–18.09.2014 द्वारा लीज प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसपर जिला कानूनगो का हस्ताक्षर अंकित है। उपरोक्त वर्णित वाद सं0–40/2014 एवं अन्य अभिलेखों के संबंध में लीज प्रस्ताव की अनुशंसा सिर्फ अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है बल्कि उक्त अनुशंसा में खास महाल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता की अनुशंसा भी है। अपीलार्थी को इसमें जानबुझकर फँसाया गया है। खास महाल पदाधिकारी तनवीरूल कमर द्वारा बिचौलिये से तालमेल कर नाजायज ढ़ंग से खास महाल की भूमि लीज करवाते थे जिसके विरूद्ध दर्जनों लोगों ने शपथपत्र के साथ समाहर्त्ता, पूर्णिया एवं विभाग को आवेदन देकर उनके काले कारनामे को उजागर किया था। मो0 मुन्ना, लंका टोला, पूर्णिया द्वारा जो खास महाल पदाधिकारी तनवीरूल कमर	

Web Copy. Not Official.

		का रिश्ते में साला था उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा विडियो क्लीप एडिट कर तैयार कराया गया था। खास महाल पदाधिकारी द्वारा जालसाजी के तहत अपीलार्थी के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, जिसपर संचालन पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा बगैर ध्यान दिये इन्हें 20 प्रतिशत पेंशन क्रमशः	
	लगातार 17.11.2023	राशि का दंड अधिरोपित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के पत्रांक–1059 दिनांक–29.08.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी दिनांक–17.03.1982 को अचंल अमीन के रूप में पदस्थापित होते हुए विभिन्न कार्यालयों में काम किया और अंचल कार्यालय, बी0कोठी से दिनांक–31.03.2017 को सेवानिवृत्त हुए। भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया के यहाँ पदस्थापन काल में 36,967/– रूपया अग्रिम प्राप्त किया गया जो अबतक वापस नहीं किया गया। समाहर्त्ता के आदेश ज्ञापांक–1855 दिनांक–08.11.2016 द्वारा इनके भ्रष्ट क्रियाकलापों के विरूद्ध इन्हें निलंबित किया गया जो इनके सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन मुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को ग्रुप बीमा के रूप में 2,11,787/– रूपये एवं औपबंधिक पेंशन के रूप में 1,17,104/– रूपया भुगतान किया गया है। विभिन्न कार्यालयों में इनके पदस्थापन संबंधी विवरणी अप्राप्त रहने के कारण G.P.F. का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका है। जबकि उक्त मद में 21,955/– रूपया का भुगतान हुआ है। अपीलार्थी अपने कार्यों में प्रायः वरीय पदाधिकारियों की अवहेलना करते रहे हैं। इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई जो उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। उन्हें कई स्मार दिये जाने के बावजूद भी वे समर्पित नहीं किये। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत दंड अधिरोपित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत् है। इस प्रकार अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गई जो इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। विवादित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 2162/2013 में प्रश्नगत भूमि आवेदक की लीज हेतु अनुशंसा किया गया किन्तु अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि लीज पर	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 17.11.2023	दी गई या नहीं, जबकि अपीलार्थी का कथन है कि सर्वेक्षण प्रपत्र पर उक्त याचिका अंकित नहीं रहने के लिए टीम के सदस्य तरूण कुमार मजुमदार एवं अमरकांत ठाकुर दोषी हैं। इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि समाहर्त्ता, पूर्णिया के मौखिक आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–2615 दिनांक–18.09.2014 द्वारा लीज प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। अपीलार्थी का दावा है कि संयुक्त रूप से स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया क्रमशः गया है जिसपर जिला कानूनगो का हस्ताक्षर भी अंकित है। इन्होंने तत्कालीन प्रभारी खास महाल पदाधिकारी, पूर्णिया के कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाया है। समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, पूर्णिया–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन तथ्यों पर सम्यक् विचार किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित दंड न्यायोचित एवं समानुपातिक नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पेंशन राशि से 20% राशि की कटौती को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति तिथि से मात्र 5 वर्षों के लिए उक्त राशि की कटौती का दंड संसूचित किया जाता है। समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा सूचित किया गया है कि इनके उपादान राशि में से भी 20% की कटौती कर ली गई है तथा Provisional Pension भी इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। समाहर्त्ता, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उठाये गये इन तथ्यों की सम्यक् जाँचोपरांत अविलंब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल संचिका/अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.